रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3838] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2018/आश्विन 6, 1940
No. 3838] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2018/ASVINA 6, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2018

सं. 38/2015—2020

विषय : पेटकोक की आयात नीति में संशोधन।

का.आ. 5017(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या 30/2015–2020 दिनांक 28 अगस्त, 2018 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 25/2015–2020 दिनांक 17 अगस्त, 2018 में संशोधन को अधिसूचित करती है।

2. अधिसूचना संख्या 25/2015–2020 दिनांक 17 अगस्त, 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए नीतिगत शर्त को संशोधन पश्चात् निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

ईंधन के प्रयोजन हेतु पेट कोक का आयात निषिद्ध है। तथापि, सीमेन्ट, चूना भट्टी, कैल्सियम कार्बाइड और गैसीकरण उद्योगों **और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड उद्योग** के लिए वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के आधार पर केवल फीड स्टॉक के रूप में या विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग हेतु पेट कोक का आयात ''मुक्त'' है। ऐसे आयातों का विनियमन और निगरानी का.ज्ञा.सं. क्यू–18011/54/2018–सीपीए दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के तहत जारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः** मौजूदा चार उद्योगों नामतः सीमेंट, चूना भट्टी, कैल्सियम कार्बाइड और गैसीकरण उद्योगों के अलावा पांचवें उद्योग अर्थात् ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड उद्योग को जोड़ा जाता है जिसके लिए पेटकोक का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/01/एएम–19/पीसी–2(क)/ई–11101]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक,

विदेश व्यापार, पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2018

No. 38/2015-2020

Subject : Amendment of import policy of Petcoke.

S.O. 5017(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies amendment to the Notification No. 25/2015-2020 dated 17th August, 2018 read with Notification No. 30/2015-2020 dated 28th August, 2018.

2. In partial modification of Notification No. 25/2015-2020 dated 17th August, 2018, the Policy condition, after amendment, will read as under:

Import of pet coke for fuel purpose is prohibited. However, import of Pet coke is "free" for cement, lime kiln, calcium carbide, gasification industries and graphite electrode industry for use as feed stock or in the manufacturing process only on Actual User basis.Regulation and monitoring of such imports will be as per the guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued *vide* O.M. No. Q-18011/54/2018-CPA, dated September 10, 2018.

3. **Effect of this Notification:** In addition to the existing four industries namely cement, lime kiln, calcium carbide and gasification industries, the fifth one i.e. graphite electrode industry is added for whom Petcoke is freely importable.

This issues with the approval of Minister of Commerce and Industry.

[F. No. 01/89/180/01/AM-19/PC-2(A) /e–11101]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of

Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.10.03 14:32:17 +05'30'